

महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.2(4)मुख्यालय/127/2025-26/ 33607-11

दिनांक: 28.01.2026

ई-बोली आमंत्रण सूचना

राज्य की कारागृहों के उपयोगार्थ Walkie Talkie -250 Nos. क्रय करने हेतु ई-बोली आमंत्रित की जाती है। ई-बोली दिनांक 29.01.2026 को प्रातःकाल 11.00 बजे के उपरान्त वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके निर्धारित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में निम्न समय सारणी अनुसार प्रस्तुत की जा सकती है:-

1.	बोली दस्तावेज डाउनलोड प्रारम्भ की तिथि एवं समय	29/01/2026 को प्रातःकाल 11.00 AM के उपरान्त
2.	बोली प्रस्तुत करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय	29/01/2026 को प्रातःकाल 11.00 AM के उपरान्त
3.	बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	09/02/2026 को प्रातःकाल 11.00 AM तक
4.	तकनीकी बोली खोले जाने की तिथि एवं समय	09/02/2026 को प्रातःकाल 11.30 AM तक
5.	प्री-बिड मीटिंग तिथि, समय एवं स्थान	02/02/2026 को दोपहर 12.00 PM महानिदेशालय कारागार, घाटगेट, जयपुर
6.	बोली खोलने का स्थान	महानिदेशालय कारागार, घाटगेट, जयपुर

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्तें एवं अन्य विवरण वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in>/विभागीय वेबसाईट www.home.rajasthan.gov.in/ राज्य लोक उपापन पोर्टल वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं।

अति. महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.2(4)मुख्यालय/127/2025-26/ 33607-11

दिनांक: 28.01.2026

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।
2. उपापन समिति, अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव.....।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि ई-बोली आमंत्रण सूचना का राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 43(6) में विहित प्रावधानानुसार 50,000 प्रतियों और उससे अधिक का परिचालन रखने वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र एवं एक क्षेत्रीय दैनिक सामाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस एवं अनुमोदित दरों पर न्यूनतम 10 दिवस की अवधि के लिए अविलम्ब प्रकाशन करावें।
4. प्रभारी कम्प्यूटर लैब, मुख्यालय कारागार, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करने हेतु।
5. नोटिस बोर्ड चस्पा हेतु।

अति. महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान, जयपुर

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

क्रमांक: प.2(4)मुख्यालय/127/2025-26/ 33607-11

दिनांक: 28.01.2026

ई-बोली आमंत्रण सूचना

राज्य की कारागृहों के उपयोगार्थ हेतु Walkie Talkie -250 Nos. क्रय करने हेतु ई-बोली आमंत्रित की जाती है। ई-बोली दिनांक 29.01.2026 को प्रातःकाल 11.00 बजे के उपरान्त प्रारंभ की जाकर वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके निर्धारित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में निर्धारित समय सारणी अनुसार वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in में प्रस्तुत की जा सकती है।

क्र. सं.	वस्तु का नाम	अनुमानित मात्रा	कुल अनुमानित राशि रूपये (लाखों में)	बोली प्रपत्र शुल्क	बोली प्रतिभूति राशि 2%	RISL शुल्क
1.	Walkie Talkie	250 Nos.	25.00	500	50,000	500

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र संख्या प.6(5)वित्त/सा.वि.ले.नि/2018 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ऑनलाइन प्रस्तुत की जाने वाली बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि (बिड सिक्क्योरिटी राशि) ऑनलाइन ई-ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा करवाया जाना आवश्यक है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 09.07.2020 में ई ग्रास पोर्टल पर ऑनलाइन चालान से फीस जमा करवाए जाने की पूर्ण प्रक्रिया दी गई है। बोली से संबंधित शुल्क का विस्तृत विवरण बोली की मुख्य शर्त संख्या 01 में दिया गया है।

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्तों एवं तत्सम्बंधी अन्य विवरण को वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> /विभागीय वेबसाइट <http://www.home.rajasthan.gov.in> /राज्य लोक उपापन पोर्टल वेबसाइट के <http://sppp.raj.nic.in> पर देखा जा सकता है।

अति. महानिदेशक पुलिस (कारागार)

राजस्थान, जयपुर

:: बोली (bid) की मुख्य शर्तें::

1. शुल्क (fees)-

(अ) प्रत्येक सामग्री की बोली हेतु बोली प्रतिभूति राशि, बोली प्रपत्र शुल्क व प्रोसेसिंग फीस पृथक-पृथक ई-ग्रास चालान के द्वारा ऑनलाईन जमा की जायेगी।

(ब) बोली प्रोसेसिंग फीस (आर.आई.एस.एल.) वित्त विभाग के (G&T) 2022/27.01.2023 के अनुसार रहेगी:-

1. यदि बोली की लागत राशि रूपये 50.00 लाख रूपये तक है- रूपये 500/-प्रति बोली
2. यदि बोली की लागत राशि रूपये 50.00 लाख रूपये से अधिक किन्तु 1.00 करोड रूपये तक है- रूपये 1500/-प्रति बोली
3. यदि बोली की लागत राशि रूपये 1.00 करोड रूपये से अधिक किन्तु 5.00 करोड रूपये तक है- रूपये 2000/-प्रति बोली
4. यदि बोली की लागत राशि रूपये 5.00 करोड रूपये से अधिक है- रूपये 2500/-प्रति बोली

निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रोसेसिंग फीस एवं बोली प्रतिभूति राशि (बिड सिक्क्योरिटी राशि) के ई-ग्रास चालान ऑन लाईन बोली के साथ स्कैन करके प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि एवं बोली प्रोसेसिंग फीस के अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रोसेसिंग फीस किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटायी जावेगी।

(स) निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रोसेसिंग शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि/बिड सिक्क्यूरिटी राशि शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र संख्या प.6(5)वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.04.2020 एवं दिनांक 09.07.2020 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार ई-ग्रास पोर्टल पर चालान महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर के पक्ष में बनाया जाना है, शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

शुल्क का विवरण	बोली शुल्क की राशि	ई-ग्रास बजट मद का विवरण
बोली प्रपत्र शुल्क	बोली में निर्धारित राशि अनुसार	0075-00-800-52-01
प्रोसेसिंग फीस	बोली में निर्धारित राशि अनुसार (एम.डी, आर.आई.एस.एल (MD RISL))	8658-00-102-16-01
बोली प्रतिभूति राशि	उपकरण/सामग्री की कुल अनुमानित कीमत का 2%	8443-00-103-00-00

2. (i) बोली के इच्छुक बोलीदाता को, ई-बोली (e-Bid) में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम वैबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर स्वयं का पंजीकरण कराना होगा। तत्पश्चात जो बोलीदाता ई-बोली में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (I.T.Act 2000) के तहत डिजिटल सर्टिफिकेट (Type II व Type III) प्राप्त करने होंगे। बोलीदाता किसी भी अनुमोदित सी.सी.ए (Certificate

P. Kan

Certifying Authority) एजेन्सी से डिजिटल सर्टिफिकेट ले सकते है। जिन बोलीदाताओं के पास पहले से ही उक्तानुसार वैध डिजिटल सर्टिफिकेट उपलब्ध है, उन्हें पुनः डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) वस्तुओं के लिए बोली आमंत्रण (e-bid) में अपेक्षित सूचना के अनुसार वस्तुओं की बोलियां, संबंधित वस्तु के निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) अथवा निर्माता द्वारा वस्तु विशेष हेतु प्राधिकृत डीलर द्वारा ही दी जाएगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस(निर्माता/प्राधिकृत डीलर) के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट- 'द' (घोषणा पत्र) एवं तत्सम्बंधी लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ स्केन कर उपलब्ध करवाना होगा।

(iii) निर्माता/निर्माता द्वारा घोषित प्राधिकृत डीलर के रूप में बोली प्रस्तुत करने पर उससे संबंधित प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति उपलब्ध करवानी होगी।

3. अनुभव (experience)-

(अ) बोलीदाता को बोली में अंकित आईटम/समकक्ष का किसी सरकारी विभाग में विगत पांच वित्तीय वर्षों में आईटमों की अनुमानित बोली राशि का किसी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 25 प्रतिशत राशि आपूर्ति का अनुभव होना आवश्यक है। जिसके प्रमाणस्वरूप कार्य संतोषजनक प्रमाण पत्र/भुगतान स्वीकृति आदेश के प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

अथवा

(ब) निर्माता द्वारा अधिकृत बोलीदाता फर्म का विगत तीन वर्षों (2022-23, 2023-2024 व 2024-25) का औसत वार्षिक टर्नओवर बोलीदत्त आईटम के अनुमानित बोली राशि के बराबर राशि का होना आवश्यक है। जिसके प्रमाणस्वरूप उस संबंधित वर्ष की बैलेंस शीट एवं लाभ-हानि खाता जो चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित होगा, जिसकी प्रति ऑनलाईन स्केन कर प्रस्तुत करनी होगी।

अथवा

(स) यदि बोलीदाता फर्म स्वयं निर्माता है तो फर्म का विगत तीन वर्षों (2022-23, 2023-2024 व 2024-25) का औसत वार्षिक टर्नओवर (annual turn over) बोलीदत्त आईटम के अनुमानित बोली राशि का कम से कम 2.5 गुना होना चाहिए। जिसके प्रमाणस्वरूप उस संबंधित वर्ष की बैलेंस शीट एवं लाभ-हानि खाता जो चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित होगा, ऑनलाईन स्केन प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

एवं

(द) The Original Equipment Manufacturer (OEM) of the offered Walkie-Talkie equipment must have successfully supplied similar or higher-specification Walkie-Talkie / Wireless Communication equipment to Central Government / State Government / Defence Forces / Public Sector Undertakings (PSUs) in India during the last 5 (five) years from the bid submission date. Bidders must submit self-certified copies of Purchase Orders, along with client details for verification.

4. दस्तावेज (document)-

(i) बोली के साथ बोलीदाता द्वारा वैध जीएसटी पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं GSTR/GSTR चालान की प्रमाणित प्रति स्केन कर प्रस्तुत करनी होगी (इस संबंध में बोली परिशिष्ट-स की शर्त संख्या 4 देखें)।

(ii) समस्त प्रमाण-पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण-पत्र है तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित तथा बोलीदाता द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

(iii) बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।



(iv) बोली के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दस्तावेजों की पृष्ठ संख्या अंकित किया जाना आवश्यक है।

(v) बोलीदाता द्वारा सभी विभागीय बोली शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप, परिशिष्ट 'द' एवं Annexure -B की पूर्ति कर एवं हस्ताक्षर करके ई-बोली के साथ स्केन कर प्रस्तुत करने होंगे। इनके अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जायेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तों के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जावेगी और ई-बोली में आगे की प्रक्रिया (stages) में शामिल नहीं किया जायेगा।

5. **वैधता (validity)-**

बोली की वैधता प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी।

6. **प्री बिड-**

बोली में निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर प्री-बिड मीटिंग आयोजित की जायेगी। जिसमें भावी बोलीदाता से संबंधित स्पष्टीकरण (यदि कोई हो तो) प्राप्त कर सकेंगे। प्री-बिड मीटिंग में बोली से संबंधित प्रश्न, समस्या, सुझाव आदि पर चर्चा की जायेगी। तदनुपरांत किसी भी सुझाव व समस्या पर विचार नहीं किया जावेगा।

7. **बोली दस्तावेज में परिवर्तन-**

बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से पूर्व उपापन संस्था द्वारा शुद्धि-पत्र जारी कर बोली दस्तावेज में परिवर्तन किया जा सकता है। बोली दस्तावेज में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना एसपीपीपी एवं ई-प्रॉक पर प्रकाशित की जायेगी व इसके लिए उपापन संस्था द्वारा बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने/संशोधन के लिए पर्याप्त समय दिया जायेगा।

8. **सामान्य सूचना-**

(i) यदि कोई बोलीदाता माल/सामग्री/उपकरण की आपूर्ति करने में असफल रहता है या आंशिक सप्लाई करता है और उसकी सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन (substitute) किसी उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपहत (Forefeit) किया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से, तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित (debar) किया जा सकेगा।

(ii) विस्तृत शर्तों को जानने के लिए विभागीय बोली परिशिष्ट- अ, ब स, द तथा अनुलग्नक (Annexure)-A, B, C, D एवं E का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जा सकता है।

(iii) बोलीदाता फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर उपापन संस्था द्वारा प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर उचित समझने पर अथवा किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होनी पाए जाने पर बोलीदाता से वांछित दस्तावेज एवं स्पष्टीकरण लिया जा सकता है।

B. Kans

- (iv) उपापन संस्था किसी भी बोली अथवा उसके भाग को किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये अस्वीकार अथवा निरस्त कर सकती है।
- (v) सम्पूर्ण बोली प्रक्रिया पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं बोली दस्तावेज की शर्तें/प्रावधान लागू होंगे।
- (vi) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर होंगे।
- (vii) उपापन संस्था की आवश्यकतानुसार एवं बजट की उपलब्धता के अनुरूप क्रय किये जाने वाले उपकरण/ सामग्री की संख्या में कमी या वृद्धि अथवा बोली निरस्त भी की जा सकती है।
9. सामग्री/उपकरण निम्न गुणवत्ता अथवा स्पेसिफिकेशन के अनुरूप नहीं होने पर उस सामग्री/उपकरण को बोलीदाता द्वारा बदलना होगा अन्यथा उपापन संस्था नियमानुसार अन्य बोलीदाता से क्रय के लिए निर्णय हेतु सक्षम होगी एवं क्रय के लिए निविदत राशि एवं क्रय की गई सामग्री की अंतर राशि संबंधित फर्म से नियमानुसार वसूल की जावेगी।
10. ई-बोली में अंकित समस्त सामग्री/उपकरणों की वारंटी अवधि (समस्त पार्ट्स/पुर्जे) का प्रारम्भ इंस्टॉलेशन तिथि से सामग्री/उपकरण के स्पेसिफिकेशन में वर्णित वारंटी अवधि अनुसार होगा। निविदा में अंकित मशीन/उपकरण/सामग्री के लिए वारंटी अवधि पूर्ण होने के पश्चात् विभाग द्वारा सफल बोलीदाता से AMC पृथक से की जा सकती है।
11. वित्तीय प्रपत्र में आईटम की दरें पृथक-पृथक BOQ में भरी जाना आवश्यक है। वित्तीय दर के अनुसार एल-1 का निर्धारण आईटम वाईज प्राप्त न्यूनतम राशि के आधार पर किया जायेगा।
12. ई-बोली में अंकित सामग्री/उपकरणों की आपूर्ति ई-बोली में Annexure-E /एफ.ओ.आर.सूची के अनुसार निर्धारित अवधि एवं स्थान पर करनी होगी। आपूर्ति किये गये सामग्री/उपकरणों का विभागीय निरीक्षण समिति से नियमानुसार निरीक्षण करवाया जावेगा। आपूर्ति किये गये सामग्री/उपकरणों के विभागीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार पाये जाने पर निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के आधार पर एवं इन्सटॉलेशन उपरान्त मशीन के संचालन की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त बजट की उपलब्धता पर नियमानुसार बिलों की राशि का भुगतान संबंधित फर्म को किया जायेगा।
13. ई-बोली में अंकित सामग्री/उपकरणों को फर्म द्वारा राज्य की संबंधित कारागृह पर स्थापित किया जाएगा। इस कार्यालय/विभाग द्वारा चाहे जाने पर संबंधित कारागृह पर सफल बोलीदाता/फर्म को अपना इंजीनियर/तकनीकी कर्मचारी/प्रतिनिधि भिजवाकर उक्त मशीनों का इंस्टॉलेशन व संचालन करवाना होगा, इस हेतु कार्यालय/विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।

8.6.5

14. सफल बोलीदाता/फर्म द्वारा सामग्री/उपकरणों के संचालन एवं रख-रखाव के लिए उपकरण हेतु आवश्यक होने पर विभाग द्वारा निर्धारित कार्मिकों को निर्देशित स्थान पर पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जावेगा। मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating procedure)/तकनीकी नियमावली (Technical Manual) तैयार कर सफल बोलीदाता द्वारा संबंधित अधीक्षक/उपाधीक्षक कारागार को उपलब्ध करवाई जायेगी। प्रशिक्षण व नियमावली के लिए विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
15. सफल बोलीदाता/फर्म द्वारा आपूर्ति एवं स्थापित की गई सामग्री/उपकरणों में किसी भी प्रकार की वारंटी/गारंटी अवधि में तकनीकी/अन्य खराबी होने अथवा मशीन/ उपकरण के बंद हो जाने पर संबंधित कारागृह प्रभारी द्वारा ई-मेल के माध्यम से/लिखित शिकायत दर्ज कराने पर 03 दिवस के भीतर उपस्थित होकर मशीनरी को दुरुस्त करना होगा। फर्म का प्रतिनिधि/इंजीनियर 03 दिवस में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार जुर्माना/पैनल्टी 500 रूपये /निर्धारित राशि प्रतिदिन के हिसाब से वसूल किया जाएगा एवं 10 दिवस से अधिक होने पर नियमानुसार फर्म के विरुद्ध कार्य संपादन राशि को जब्त करने/डिबार करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
16. गारंटी/वारंटी अवधि में सामग्री/उपकरणों में खराबी होने पर पार्ट्स/पुर्जो एवं सर्विस के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जावेगा।
17. विभागीय उपापन समिति द्वारा आवश्यकता होने पर ई-बोली में अंकित सामग्री का ऑनलाइन/ऑफलाइन तरीके से डेमो/प्रजेन्टेशन करवाया जा सकता है। जिसका समस्त खर्चा संबंधित फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। Demonstration/Presentation में सफल पाये जाने पर ही बोली पर विचार किया जावेगा।
18. वित्तीय बोली (Price Bid) प्रपत्र संलग्न है, जो निर्धारित BOQ में दिया जावे। इसे तकनीकी बोली के साथ संलग्न नहीं किया जावे। तकनीकी बोली के साथ वित्तीय बोली देने पर ई-बोली निरस्त की जा सकेगी।
19. बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा/बोली का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद समस्त प्रपत्रों/परिशिष्टों/अनुलग्नकों को पूर्ण रूप से भरकर ही ई-बोली प्रस्तुत की जावे।
20. प्रथमतः समस्त बोली की तकनीकी बोली को खोला जावेगा एवं स्पेसिफिकेशन, नियम व शर्तों तथा योग्यता मापदण्डों के अनुसार मूल्यांकन किया जावेगा। तकनीकी बोली में योग्य/सफल पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली (Price Bid) खोली जावेगी।
21. फर्म द्वारा कारागृहों पर भेजे गये किसी भी कार्मिक/संबंधित व्यक्ति द्वारा जेल मेन्यूअल व विभागीय निर्देशानुसार प्रतिबंधित सामग्री लाने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
22. निविदा से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों तथा बोली के समस्त प्रपत्रों की पूर्ति कर (पूर्ण रूप से भरकर) प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर (सील सहित) करके स्कैन कर तकनीकी बोली के साथ ऑनलाइन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।
23. आइटम/उपकरण की आपूर्ति क्रयादेश तिथि से 30 दिवस में करनी होगी।

B. Law

24. माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के खंड 16 के नियम 138 के अनुसार निर्धारित राशि के माल आपूर्ति पर फर्म द्वारा ई-वे बिल(EWB) तैयार कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
25. निविदा में आवश्यक होने पर सामग्री का नमूना (सैंपल) लिया जा सकेगा।
26. फर्म को किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्ट/विवर्जित/दिवालिया ना होने का शपथ-पत्र निविदा में प्रस्तुत करना होगा।
27. ई-बोली में अनावश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये जाये। निविदा में चाहे गये दस्तावेज सुव्यवस्थित रूप से पृष्ठांकन करते हुए व बिड के प्रारंभ में इंडेक्स बनाकर प्रस्तुत किये जाये।
28. उपरोक्तांकित शर्तों एवं विभागीय बोली परिशिष्ट अ, ब, स, द तथा **Annexure - A,B,C, D एवं E** में उल्लेखित शर्तों, स्पेसिफिकेशन के विपरीत कोई शर्त, स्पेसिफिकेशन स्वीकार नहीं की जायेगी।
29. उक्त बोली की शर्तों के अतिरिक्त ई-बोली हेतु राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की समस्त शर्तें यथास्थान लागू रहेंगी।
30. बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या हो तो निम्न अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है :-

अति०महानिदेशक पुलिस (कारागार), राजस्थान, जयपुर।

दूरभाष नं..0141-2609202

ई-मेल purchasejhq@gmail.com

P. Kumar

अति०महानिदेशक पुलिस(कारागार)
राजस्थान, जयपुर

महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर
(बोली प्रपत्र-कवालीफाईंग बिड) -

परिशिष्ट "अ"

घोषणा

- बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक: दिनांक-..... के लिए बोली
- (I) के लिए बोली (खाली स्थान में उस वस्तु का नाम लिखे, जिसके लिए बोली दी गई है)
- (II) बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम.....
पूर्ण पता,
दूरभाष, फैक्स नम्बर एवं ई मेल
- (III) बोली जिन्हें प्रस्तुत करनी है :- महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, कारागार
राजस्थान, जयपुर ।
- (IV) सन्दर्भ :-बोली आमंत्रण सूचना संख्या:-.....दिनांक
- (V) राशि का विवरण:-
(1) बोली प्रपत्र शुल्क की ई-ग्रास चालान संख्या दिनांक .
.....राशि रूपये.....
(2) प्रोसेसिंग फीस ई-ग्रास चालान संख्यादिनांक.....राशि
रूपये.....
(3) बोली प्रतिभूति राशि ई-ग्रास चालान संख्या.....दिनांक.....राशि
रूपये.....
- (VI) हम बोली आमंत्रण सूचना संख्यादिनांकमें
वर्णित सभी शर्तों से तथा विभागीय शर्तों से संबंधित परिशिष्ट "स" तथा
Annexure E में वर्णित शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। समस्त पृष्ठों
में वर्णित शर्तों का स्वीकार किये जाने के प्रमाण-स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये
गए हैं
- (VII) हम सहमत हैं कि विभाग द्वारा बोली आमंत्रण सूचना में अंकित सप्लाई
अवधि में समस्त माल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी ।
- (VIII) हम सम्पुष्टि(confirm)करते हैं कि "प्राईसबिड" में अंकित की गई दरें
"बोली की वैधता" प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन तक तक मान्य
होगी।
- (IX) हम सम्पुष्टि करते हैं कि "प्राईसबिड" में अंकित दरें विभागीय **Annexure E**
में अंकित आइटम/उपकरण के लिये हैं ।
- (X) हमारा जीएसटी पंजीयन संख्या.....है।
- (XI) हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड स्वीकार होने की सूचना से निर्धारित
अवधि में निर्धारित प्रारूप में विभाग से करार निष्पादन करेंगे, करार के
अभाव में बोली निरस्त योग्य है ।
- (XII) हम सम्पुष्टि करते हैं कि हमारी फर्म किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड
तथा दिवालिया घोषित नहीं है।कारागार विभाग द्वारा विवर्जित या राज्य
सरकार द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं है।
- (XIII) हम सम्पुष्टि करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में बोली निरस्त करने
योग्य है। आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार
है:-

P. Kans

अनुसूची "क"

विवरण (बोलीदाता द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जावे)

क्र. सं.	वांछित दस्तावेज का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं/लागू नहीं	जारी दिनांक/वैधता दिनांक	पेज संख्या
1.	सामग्री का नाम जिसके लिए बोली प्रस्तुत की है।			
2.	बोलीदाता फर्म का नाम एवं पता			
	दूरभाष संख्या व ई-मेल का पता			
1.	बोली की सभी शर्तों से सहमति			
2.	परिशिष्ट 'द' (स्टेटस चिन्हित कराते हुए)			
3.	Annexure-'B' (रिक्त स्थान की पूर्ति कराते हुए)			
4.	जीएसटी एवं पेन पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति			
5.	जीएसटी रिटर्न/जीएसटी चालान की स्कैन प्रति अथवा ना-बकाया का शपथ-पत्र			
6.	उधमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) उद्योग आधार की स्कैनप्रति			
7.	अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की बिन्दु संख्या 10 के तहत शपथ पत्र			
8.	अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की बिन्दु संख्या 11 के तहत में शपथ पत्र			
9.	बोली दाता का प्राधिकृत प्रतिनिधि संबंधी प्रमाण पत्र			
10.	अनुभव प्रमाण पत्र (बोली दस्तावेज में अंकितानुसार)			
11.	वार्षिक टर्न ओवर के संबंध में वांछित दस्तावेज			
12.	निर्माता/प्राधिकृत डीलर संबंधित दस्तावेज			
13.	ब्लैक लिस्ट/विवर्जित/दिवालिया ना होने का शपथ पत्र			

(XIII) हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में है तथा अन्य भाषा में होने पर उनका हिन्दी अथवा अंग्रेजी का स्वयं द्वारा सत्यापित अनुवाद भी प्रस्तुत किया गया है ।

P. Kans

नोट:-उक्त सूची में जिन वांछित दस्तावेज का विवरण फर्म पर लागू नहीं है उस पर लागू नहीं का उल्लेख किया जाए।


1. उपरोक्त अंकित संलग्नकों में दस्तावेज प्रस्तुत किया है अथवा नहीं उसके सम्मुख Yes or No, दस्तावेज जारी होने की तिथि, (Issuing date) वैधता अवधि (Validity date) अंकित करना आवश्यक है, इसका उतरदायित्व बोलीदाता का है तथा इसके अभाव में बोली अमान्य कर दी जावेगी ।

2. बोली भरने की प्रक्रिया :-

(ए)परिशिष्ट "अ" क्वालीफाईंग बिड है, क्वालीफाईंग बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट "अ" "स" "द" एवं **Annexure A,B,C,D,E** में अंकित शर्तों की स्वीकार्यता की सहमति के लिए परिशिष्ट 'द' एवं **Annexure 'B'**, हस्ताक्षर उपरान्त ई-बोली के साथ उपलब्ध कराने होंगे।

(बी)परिशिष्ट "ब" प्राईस बिड है उसे ई-बोली में निर्धारित प्रारूप में भरा जावे। तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं की ही प्राईस बिड खोली जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर



महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
परिशिष्ट "ब"
(बोली प्रपत्र-प्राईस बिड)

1. ----- क्रय करने के लिए ई-बोली।
2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम
पूर्ण पता :-.....
.....
दूरभाष एवं फैक्स नम्बर मय ईमेल सहित :-.....
.....
3. बोली जिसे प्रस्तुत करनी है:- महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
4. सन्दर्भ:- प.2(4)मुख्यालय/127/2025-26/.....दिनांक: / /2026
5. निम्नलिखित आईटम के लिए दरें एवं मात्रा निम्न प्रकार होगी:-
(क) Annexure E में अंकित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप आईटम
(ख) मात्रा :-.....
(ग) दरें-एफ.ओ.आर.निम्नानुसार अंकित करे:-
(i) दरें -(प्रति नग):-

क्र. सं.	वस्तु/आईटम का नाम	अनुमानित मात्रा	दर	दर प्रति नग	कुल योग
1.	Walkie Talkie	250 Nos.	प्रति नग	ई-बोली के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।	

परिवहन, बीमा, पैकिंग चार्ज, इन्सटॉलेशन व कमिसनिंग चार्ज दरों में शामिल माना जायेगा।
उक्त करो में किसी प्रकार की आंशिक अथवा पूर्ण छूट प्राप्त होने पर प्रमाण पत्र संलग्न करे।
नोट:(i) दरें शब्दों एवं अंकों दोनो रूप में लिखी जावे। दरों में कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होवे।
(ii)अस्पष्ट वाक्य जैसे:- टैक्स पेड, कर सहित, एज़ एप्लीकेबल का प्रयोग नहीं किया जावे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

8. Jan 2025

महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर
परिशिष्ट-“स”

बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक

दिनांक:

खुली ई-बोली के लिए बोली एवं संविदा की सामान्य शर्तें

नोट:-बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा ऑन लाईन इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाइट पर प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. बोली भरने की प्रक्रिया बोली आमंत्रण सूचना में दी गई मुख्य शर्तों में अंकित है जिसकी पूर्ण पालना आवश्यक है।
2. विभिन्न श्रेणी के बोलीदाताओं हेतु विशेष शर्तें :-
 - (अ)(i) सभी वस्तुओं के लिए बोली आमंत्रण सूचना में वर्णित सूचना के अनुसार वस्तुओं की बोलियां संबंधित वस्तु के निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) अथवा निर्माता द्वारा प्राधिकृत डीलर प्रतिनिधि द्वारा दी जाएंगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट- 'द' में घोषणा पत्र भरकर उपलब्ध करवाया जावेगा एवं तत्सम्बंधी लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ दिये जायेंगे।
 - (ii) बोलीदाता द्वारा संबंधित वस्तु के वास्तविक निर्माता होने के प्रमाण स्वरूप सरकार के उद्योग विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी।
3. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान को लिखित में बोलीदाता द्वारा आवश्यक रूप से दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा।
- (ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं इस संबंध में महानिदेशक कारागार, राजस्थान को लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
4. जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र/जीएसटीआर (GST Return) व चालान की प्रति :-
 - (i) कोई भी डीलर जो अपने मान्य व्यवसाय स्थान के राज्य में प्रचलित जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, वह बोली नहीं दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाएगा। प्रमाण-पत्र की प्रति ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी।
 - (ii) बोलीदाता द्वारा GSTR व बोली से ठीक पूर्व जमा कराये गये जीएसटी के चालान की प्रति अथवा ना-बकाया होने का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।

B. Kant

(iii) यदि किसी वस्तु पर जीएसटी लगता है तो उसकी दर फर्म द्वारा आवश्यक रूप से अलग से प्रस्तुत की जावेगी। यदि किसी फर्म ने कर सहित दरें प्रस्तुत की है तो उसमें जीएसटी की दर अलग से दर्शानी/बतानी होगी।

5. बोलीदाता बोली एवं बोली की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट-‘द’ पूर्ण करने के बाद अपने हस्ताक्षर करने के उपरान्त ई-बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करें। बोलीदाता द्वारा, बोली के साथ संलग्न **Annexure B** अपने हस्ताक्षर करने के उपरान्त ई-बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत किया जावेगा। यदि बोलीदाता द्वारा उक्तानुसार परिशिष्ट ‘द’ एवं **Annexure B** ऑनलाईन प्रस्तुत नहीं किया गया है तो संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जावेगी।
6. यदि कोई बोलीदाता विषयवस्तु सफ़लाई करने असफल रहता है तो उसे तीन वित्तीय वर्ष तक विभागीय बोलियों में भाग लेने से विवर्जित (Debar) किया जा सकता है।

7

दरें :-

- (i) बोली में दरें शब्दों एवं अंको दोनो रूप में लिखी जाएँ एवं इसमें कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
- (ii) बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी :-
- (क) इकाई मूल्य (Unit Price) और कुल मूल्य (Total Price) जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य प्रभावी (Prevail) होगा अर्थात् इकाई मूल्य स्वीकार किया जावेगा और कुल मूल्य में सुधार किया जावेगा। बोली मूल्यांकन समिति की राय में यदि इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई है तो ऐसे मामलों में उक्तथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा।
- (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक (Sub Total) प्रभावी (Prevail) होंगे और कुल योग में सुधार किया जावेगा।
- (ग) यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक प्रभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो। ऐसे मामलों में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यक्षीन न रहते हुए अंको में अभिव्यक्त रकम प्रभावी होगी।
- (iii) बोली में दर अंकित करते समय GST अलग से अंकित की जावे व GST की कुल राशि या प्रतिशत अवश्य अंकित की जावे। टैक्स में रियायत मिली हुई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करें। यदि सरकार द्वारा GST में कालान्तर में बढ़ोतरी या कमी की जाती है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जावेगा।
- (iv) बोली में दरें **Annexure E** के अनुसार गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. अंकित की जानी चाहिये तथा उसमें चुंगीकर, केन्द्रीय जीएसटी/बिक्रीकर/वैट के अलावा समस्त प्रकार के टैक्स एवं आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा कोई

B. Kam

- गाडी भाडा या परिवहन प्रभार नहीं दिया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी **Annexure E** में अंकित परिसरों पर दी जाएगी।
- (v) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे।
- (vi) सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नहीं दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो ऐसी बोली को सशर्त बोली मानकर निरस्त कर दिया जाएगा।
- (vii) सामग्री की आपूर्ति प्राप्त होने पर उसके निरीक्षण उपरान्त, सामग्री को विभागीय स्पेसिफिकेशन/सैम्पल के अनुसार पाये जाने पर ही भुगतान किया जायेगा। अतः बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नहीं की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो इसे सशर्त बोली मानकर निरस्त की जा सकेगी।
- (viii) विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार ही बोली में दरें अंकित की जावें। विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार नहीं दी गई दरें अमान्य होंगी व बोली निरस्त की जा सकेगी।
- (ix) बोली दरें खुलने के पश्चात यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
- (x) बोलीदाता द्वारा बोली सूचना में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी। बोली सूचना में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नहीं होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

8. दरों की तुलना:-

- (i) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार राजस्थान के उद्यमों द्वारा उत्पादित/विनिर्मित माल को राजस्थान के बाहर के उद्योगों द्वारा उत्पादित /विनिर्मित माल की अपेक्षा, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत क्रय वरीयता दी जावेगी।
- (ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार यदि सामान के प्रदाय का प्रस्ताव करने वाला कोई बोलीदाता राजस्थान में अवस्थित कोई डीलर है और निविदादत्त मूल्य राजस्थान के उद्यमों द्वारा प्रस्तावित दरों के बराबर है और सामान की किस्म और विनिर्देश वही है तो राजस्थान के उद्यमों को ऐसे स्थानीय डीलर पर क्रय अधिमान दिया जावेगा।
- (iii) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रसारित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए भी दरों की तुलना की जावेगी।

9. बातचीत (Negotiation):-

- (i) जहाँ तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत नहीं की जाएगी, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम बोलीदाता या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी :-
- (क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (Ring Price) दी गई हो या

P. Gaur

- (ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में ज्यादा अन्तर हो।
 (ii) न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 3 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्यांकन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।

10.

बोली की विधि मान्यता:-

दरों की वैद्यता प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि तक के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अवधि से कम अवधि के लिए कोई बोली गैर-प्रत्युत्तरदायी (Non-Responsive bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।

11.

बोलीदाता के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा, दशा, स्पेसिफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राईंग आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसिफिकेशन, ड्राईंग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह बोली प्रस्तुत करने से पूर्व अपना आवेदन महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर को भेजेगा तथा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

12.

बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप भाग (Sub-let) पर नहीं देगा।

13

स्पेसिफिकेशन:-

- (i) प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुएँ बोली एवं बोली शर्तों से संबंधित **Annexure-E** में निर्धारित स्पेसिफिकेशन/मापदण्ड/सैंपल के पूर्णतया अनुरूप होंगी। ऐसे मामले में जहाँ कोई स्टैंडर्ड या अनुमोदित नमूना या स्पेसिफिकेशन नहीं हो, उस स्थिति में सप्लायर द्वारा भारत में उपलब्ध अति-उत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु सप्लाय की जावेगी। प्रदाय की गई वस्तुओं की गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के संबंध में महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान का निर्णय अंतिम होगा तथा लिया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अंतिम एवं मान्य होगा।
- (ii) यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुएँ निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी तथा बोलीदाता को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाय अवधि में ही देना होगा।
- (iii) अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाता द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिवस के अन्दर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा। 15 दिवस के पश्चात् विभागीय परिसर से माल नहीं ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूला जाएगा। माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 दिवस पश्चात् बोलीदाता द्वारा विभागीय परिसर से माल नहीं ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत माल के संबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभागीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति, कमी,

घाटा, नाश, टूट,फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

- (iii) बोलीदाता द्वारा Annexure 'E' में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी। अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रस्तुत बोली निरस्त कर दी जावेगी।

14

निरीक्षण एवं परीक्षण:-सामान्यतः विभागीय निरीक्षण समिति के माध्यम से सामग्री का निरीक्षण करवाया जायेगा। निरीक्षण में अनुरूप पायी गई सामग्री को ही स्वीकार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार निम्न शर्तें भी लागू रहेंगी:-

- (i) (A) महानिदेशक कारागार या उनके विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर सप्लायर के परिसर में जा सकेंगे तथा वह संबंधित वस्तु के विनिर्माण के समय या उसके पश्चात जैसा भी निश्चित किया जाएगा, माल/उपकरण/मशीनरी की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच कर सकेंगे।
(B) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना में विभागीय कमेटी द्वारा, राजस्थान राज्य की लघु उद्योग इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियंत्रण के उपाय उस इकाई में स्थापित हैं या नहीं, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जावेगा।
- (ii) बोलीदाता द्वारा सप्लाई किये जाने वाले माल का निरीक्षण करने के उद्देश्य से अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम, वर्कशाप का पूर्ण पता तथा उन व्यक्तियों के नाम व पते देने होंगे जिनसे इस संबंध में सम्पर्क किया जावे। व्यवसाय में नये प्रविष्ट होने वाले डीलर को अपने बैंकर्स से जारी एक परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (iii) वस्तुओं की सप्लाई प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण व जांच की जावेगी कि वे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप हैं या नहीं। जहाँ आवश्यक हो, प्रावधित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओ/प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों में करवाया जावेगा तथा परीक्षण उपरान्त यदि सामान विहित स्पेसिफिकेशन के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा तो उन्हें स्वीकार किया जाएगा।
- (iv) परीक्षण प्रभार :- बोलीदाता से सामान प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जिस सामान का परीक्षण कराया जायेगा उसका परीक्षण प्रभार विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं है तो, परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।
- (v) निरीक्षण प्रभार:- विभाग द्वारा जिन वस्तुओं की प्रदायगी सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहों से निरीक्षण (Inspection) उपरान्त ही प्राप्त की जावेगी, उन वस्तुओं का निरीक्षण बोलीदाता द्वारा कराये जाने पर निरीक्षण की एवज में देय निरीक्षण प्रभार की राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जावेगा एवं इस हेतु बोलीदाता को सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहों में जमा कराई गई राशि की रसीद प्रस्तुत करनी होगी।
- (vi) रद्द करना (Rejection):-निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएंगी उन्हें रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही स्वयं की लागत पर उन्हें बदला जावेगा।

P. K. K.

- (vii) यदि रद्द किये गये सामान को जनहित/सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य (Feasible) नहीं समझा जावे तो विभागीय उपापन समिति बोलीदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती कर सकेगी। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।
- (viii) आपूर्ति किया गया माल/आईटम निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर बोलीदाता के विरुद्ध विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

15. **माल की सप्लाई :-**

- (i) बोलीदाता सप्लाई के समय माल की उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि परिवहन की स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जाने पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (Leakage) या किसी कमी के होने के मामले में हुई हानि एवं कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।
- (ii) यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते हैं।
- (iii) बोलीदाता द्वारा समस्त माल रेल्वे या गुड्स ट्रान्सपोर्ट के जरिये भाड़ा एवं अन्य प्रभार आदि चुका कर (FOR) बताए गए परिसर/स्थानों पर भेजा जाएगा। परिवहन के लिए उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
16. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की और से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी
17. **सुपुर्दगी अवधि(Delivery Period)**

- (i) जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी वह बोली सूचना में अंकित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई करेगा। सप्लाई अवधि, विभाग द्वारा जारी सप्लाई आदेश की दिनांक से शुरू होगी।
- (ii) फर्म निर्धारित समयावधि में यदि सामान की आपूर्ति करने में असफल रहती है तथा निर्धारित अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही सप्लाई अवधि बढ़वाना चाहती है तो उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए, जिनके कारण सप्लाई अवधि बढ़वाई जा रही है, लिखित में आवेदन करना होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सप्लाई अवधि बढ़ाने या नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया जावेगा।
- (iii) निर्धारित की गयी प्रदायगी अवधि के बराबर अवधि तक, परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित, प्रदायगी अवधि में अधिकतम अभिवृद्धि की जा सकती है। किन्तु जिन मामलों में फर्म द्वारा सामग्री विदेशों से आयात करके सप्लाई की जानी है या किसी सिस्टम से संबंधित, सामग्री सप्लाई किए जाने के बाद, इंस्टॉलेशन किया जाना है वहाँ प्रकरण के गुणावगुण के

आधार पर संज्ञान में लाई गई बाधाओं से संतुष्ट होने पर सक्षम प्राधिकारी सप्लाई अवधि आगे भी बढ़ा सकेंगे।

18. **माल (Goods) एवं सेवाओं (Services) के परिमाण (मात्रा) वृद्धि एवं पुनरादेश (Repeat Orders)**

- (i) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई माल/सेवा का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम उपापन करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावों या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (ii) यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियों आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया है तो अतिरिक्त मदों (Items) या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (Repeat Orders) संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे। प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50% से अधिक नहीं होगा।
- (iii) अन्तिम प्रदायगी समाप्त होने की दिनांक के बाद प्रदायगी के लिए पुनरादेश आदेश नहीं दिये जावेंगे। यदि बोलीदाता ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो विभाग सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित बोली द्वारा या अन्य प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत आएगी उसकी वसूली बोलीदाता से की जायेगी।

19. **संविदा के अधिनिर्णय (Award of Contract) के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य विनिर्दिष्ट मात्रा का विभाजन :-** सामान्यतः उपापन की विषयवस्तु (मात्रा/सेवा) की समस्त मात्रा उस बोलीदाता से उपापन (क्रय) की जावेगी जिसकी निविदा (बोली) स्वीकार की गई है। तथापि जब यह समझा जावे कि उपापन की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु की मात्रा बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण मात्रा प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगी जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जावे कि उपापन की विषयवस्तु गंभीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में वस्तु की मात्रा को, प्रथम न्यूनतम बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई और द्वितीय निम्नतम बोलीदाता या इसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के मध्य अनुमोदित बोलीदाता की दरों पर ऋजु (Fair) पारदर्शी और साम्यपूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा।

20. **बोली प्रतिभूति (Bid Security):-**

- (i) बोली प्रतिभूति राशि उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी। राजस्थान के लघु उद्योगों की स्थिति में यह प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्रा का 0.5 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लंबित है यह बोली के मूल्य का 01 प्रतिशत होगी।
- (ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के विभाग/उपक्रमों/कंपनी/बोर्ड को बोली प्रतिभूति राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु बोली प्रतिभूति के स्थान पर, राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से बोली प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी।
- (iii) राजस्थान राज्य के वह सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जिन्हें उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) उद्योग

B. G. S.

आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो; के अतिरिक्त अन्य फर्मों को बोलियों के साथ बोली आमंत्रण सूचना में अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के लिए घोषणा पत्र मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा वे उद्यम जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, के द्वारा बोली सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि के लिए घोषणा पत्र बोली के साथ मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जावेगी। उपरोक्त अंकित प्रमाण पत्र बोली जारी होने की अन्तिम तिथि से पूर्व के जारी होने आवश्यक है। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही बोली प्रतिभूति राशि में छूट प्रदान की जा सकेगी। उक्त दोनो प्रमाण पत्रों के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के लिए घोषणा पत्र के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा। राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र, निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क के 50% मूल्य पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रदायक फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाएगी। बोलीदाता द्वारा राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित फार्म 'B' के अनुसार शपथ पत्र ऑनलाईन बोली के साथ उपलब्ध कराने होंगे। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(iv) बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security):- बोली प्रतिभूति राशि का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) कर लिया जाएगा :

- (क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।
- (ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।
- (ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
- (घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाय अवधि में सप्लाय प्रारम्भ नहीं करता।
- (ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय-6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

21.

(अ) **करार:-** बोली (bid) में अंकित आईटम की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम 07 दिवस में कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करवाकर एक करार पत्र (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम पार्ट-11 के एस.आर.17 के अनुसार) निष्पादित करना आवश्यक है। अनुबन्ध/करार के पश्चात् आपूर्ति आदेश दिया जावेगा।

E. Lewis

करार पत्र के निर्धारित प्रारूप में निर्धारित अवधि में अनुबन्ध निष्पादन नहीं करने पर बोली निरस्त योग्य है।

- (ब) बोलीदाता द्वारा निर्धारित प्रारूप में राशि रूपये 500/- मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक करार पत्र (संलग्न प्रारूप "ख" के अनुसार) निष्पादित करना होगा।

22.

कार्य संपादन प्रतिभूति राशि (Performance Security):-

- (i) **कार्य सम्पादन प्रतिभूति:-** कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से ली जायेगी। तथापि, उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी।
- (ii) राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में कार्य संपादन प्रतिभूति राशि 1% होगी।
- (iii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न रूग्ण उद्योगों जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित हैं, के मामले में वस्तु की लागत मूल्य के 2% के बराबर होगी।
- (iv) सफल बोलीदाता द्वारा उस वस्तु के लागत मूल्य के 5% के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी।
- (v) इस राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (vi) **कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान के नाम से निम्न रूप में दी जा सकेगी:-**
- (क) "ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा"
- (ख) किसी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक द्वारा,
- (ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्किप्ट/लिखित, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।
- (घ) किसी अनुसूचित बैंक की इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी/गारंटियाँ जोकि शर्तरहित (Unconditional) एवं अपरिवर्तनीय (Irrevocably) होगी एवं (संलग्न प्रारूप "क" के अनुसार) जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।
- (ङ.) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम जारी होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (discharged) की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा FDR ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहत कर ली जायेगी।

P. Law

- (च) खण्ड ख से ड. के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।
1. अनुबंध पत्र के साथ गिरवी की हुई (Pledge) एन.एस.सी पासबुक/डिफेंस बचत पत्र /किसान पत्र आदि प्रस्तुत करना आवश्यक है।
 2. सुरक्षा राशि व बोली प्रतिभूति की दर को वित्त विभाग के आदेश दिनांक 18.12.2020 के द्वारा पूर्व की दरों को संशोधित किया गया है। संशोधित दरें, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम (संशोधित) 2020 से 31.12.2021 तक लागू रहेगी।
- (vii) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरुद्ध कोई देय बकाया (Outstanding dues) नहीं है, निम्न अवधि अनुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (Refund) किया जाएगा।
- (क) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार आईटम की अंतिम सप्लाय या गारण्टी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो, से एक माह के भीतर।
- (ख) यदि माल की सप्लाय को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो अंतिम सप्लाय या गारण्टी अवधि की समाप्ति, जो बाद में हो, के दो माह के भीतर।
- (viii) कार्य संपादन प्रतिभूति राशि (Forfeiture of Performance Security):- कार्य संपादन प्रतिभूति राशि का निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) पूर्ण या आंशिक रूप से किया जाएगा:-
- (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- (ग) जब बोलीदाता सप्लाय आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाय अवधि में माल की सप्लाय आरम्भ करने में असफल रहता हो। सुरक्षा राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।
- (ix) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा सुरक्षा राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को करार को एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपण (Counter foil) बोलीदाता द्वारा निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।
- (x) बोलीदाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएंगे:-
- (अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnership Deed) की एक अभिप्रमाणित प्रति।
 - (ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो तत्सम्बन्धी पंजीयन संख्या एवं पंजीयन का वर्ष।
 - (स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।

(xi) साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में बोली एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाए।

23.

बीमा:-

बोलीदाता द्वारा सामान गंतव्य स्थान पर सही दशा में सुपुर्द किये जाएंगे। आपूर्तिकर्ता चाहे तो मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (युद्ध, दंगे, विद्रोह आदि द्वारा) हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग/राज्य सरकार इन प्रभारों का भुगतान नहीं करेगी।

24.

भुगतान:-

(i) आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किये गए माल के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर उपापन की विषय वस्तु की आपूर्ति, प्रशिक्षण, सफल संचालन की रिपोर्ट एवं निरीक्षण समिति की सकारात्मक रिपोर्ट के बाद नियम एवं अनुबंध अनुसार आवश्यक कर कटौति/वसूली उपरांत भुगतान किया जाएगा।

(ii) माल के भुगतान करने पर किये गए प्रेषण प्रभार (Remittance Charges) बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(iii) उन मामलों में जिनमें परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब विहित परीक्षण कर लिये जाएंगे तथा परीक्षण से प्राप्त परिणाम निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होंगे।

(iv) संविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को संविदा के सार के रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता, विभाग से प्रदायगी आदेश जारी होने पर, निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई पूर्ण करेगा।

25.

परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages):-

परिनिर्धारित क्षति के साथ प्रदायगी अवधि (Delivery Period) में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन वस्तुओं के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता प्रदाय करने में असफल रहा है:-

(क) विहित प्रदायगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए-2.5%,

(ख) विहित प्रदायगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए -5%

(ग) विहित प्रदायगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु -7.5% विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए,

(घ) विहित प्रदायगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए-10%,

(ङ.) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।

(छ) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए प्रदायगी अवधि में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी

D. Lam S


आदेश दिया है। किन्तु सप्लायर द्वारा यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त किया जाएगा न कि सप्लाइ पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद।

(ज) यदि माल की सप्लाइ करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो क्रेताधिकारी प्रदायगी अवधि में परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित वृद्धि कर सकेगा।

नोट: प्रदायगी अवधि की अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्याह्न पूर्व तक प्रदायगी करने पर परिनिर्धारित क्षति की वसूली नहीं की जावेगी।

26. वसूलियाँ:—परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाइ, टूट फूट व रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाइ, टूट फूट, रद्द किए गए मालों के मूल्य की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उक्तांकित वस्तुओं को नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) के साथ वसूली, उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध सुरक्षा राशि से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या तत्समय प्रवृत्त कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
27. बोलीदाताओं को यदि आवश्यक हो तो, आयात लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।
28. बोली शर्तों के अतिरिक्त कोई शर्तें स्वीकार नहीं की जाएँगी। यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो बोली शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में बोलीदाता द्वारा दी गई शर्तों को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गए बोली स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लेखित नहीं कर दिया गया हो।
29. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली सूचना में अंकित किसी भी आइटम को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
30. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।
31. बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किए हुये हैं, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे।
32. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां चाही जा रही है वह स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नहीं होगी।

33. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैध होने चाहिए।
34. बोलीदाता फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने के बावजूद विभागीय उपापन संस्था द्वारा प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर उचित समझने पर अथवा किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होना पाए जाने पर बोलीदाता से वांछित दस्तावेज एवं स्पष्टीकरण, RTPP Rules 2013 के प्रावधानानुसार प्राप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।


अतिमहानिदेशक पुलिस(कारागार)
राजस्थान, जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर,
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के
प्रमाण-स्वरूप)

महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर
बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिस वस्तु/स्टोर/कार्य के लिए बोली दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (बृहत/मध्यम/लघु)/ थोक विक्रेता/थोक वितरक/सोल सेलिंग एण्ड मार्केटिंग एजेंट/प्राधिकृत नियमित डीलर/डीलर हूँ/हैं। मेरे/हमारे द्वारा विभागीय परिशिष्ट 'अ, ब, स एवं इ तथा बोली सूचना को पूर्ण रूप से पढ़कर समझ लिया है। मेरे/हमारे द्वारा उन शर्तों की पूर्ण पालना की जाएगी/करूंगा/करेंगे। और मैं/हम उपरोक्त को अक्षरशः स्वीकार करते हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जाए तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

0. 10/5

Annexure A

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit any fact that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- (i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :
 - a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them;
or
 - c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or

b. Kant

- d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

B. Lane

Annexure B

Declaration by the Bidder regarding Qualifications
Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to the Notice Inviting Bid No..... Dated I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence as is required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

Q. Kans

Annexure C**Grievance Redressal during Procurement Process**

The designation and address of the First Appellate Authority is D G Prisons, Rajasthan, Jaipur.

The designation and address of the Second Appellate Authority is ACS Home, Rajasthan, Jaipur

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to the First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

- (a) Determination of need of procurement.
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
- (d) Cancellation of a procurement process.
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

P. Kant

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as the number of respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to the First or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal it shall be rupees ten thousand, and this shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or bankers cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of concerned Appellate Authority.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall -
 - (i) hear all the parties to appeal present before him: and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of this order to the parties to appeal, free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

P. Kanu

Form No.1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :

(i) Name of the appellant :

(ii) Official address, if any :

(iii) Residential address :

2. Name and address of the respondent (s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose a copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

6. Grounds of appeal

.....
.....
..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer :.....
.....
.....

Place

Date

Appellants Signature

P. Law 5

Annexure D**Additional Conditions of Contract****1. Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rules all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of bidder

B. Kous

Annexure E

महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर

Walkie Talkie -250 Nos. क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेसिफिकेशन सामान्य शर्तों से संबंधित परिशिष्ट "स" में क्रम संख्या 1 से 34 तक अंकित शर्तों के अलावा निम्न शर्तें एवं विवरण लागू होंगे:-

Walkie Talkie -250 Nos. के संबंध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:-

- (क) एफ.ओ.आर. : मुख्यालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
 (ख) संख्या : 250 नग
 (ग) सप्लाय अवधि : 30 दिवस
 (घ) स्पेसिफिकेशनस् : **Specification of Walkie Talkie -250 Nos.**


Specification of Walkie-Talkie (Free Band)

Sr. No.	Parameter	Minimum / Required Specification
1	Frequency Band	UHF band operating in the range of 400 MHz to 470 MHz
2	RF Output Power	Up to 5 Watts (configurable / programmable)
3	Channel Capacity	Minimum 16 channels
4	Operating Voltage	Approximately 3.7 V DC or equivalent
5	Power Source	Rechargeable battery (Li-ion / equivalent technology)
6	Dimensions	Compact handheld design; maximum dimensions approx. 120 mm × 65 mm × 35 mm
7	Weight	Not exceeding 200 grams including battery
8	Operating Mode	Handheld portable operation
9	Compliance	Equipment shall comply with applicable WPC / TEC / statutory regulations in India
10	Environmental Suitability	Suitable for continuous field usage
11	Accessories	Standard accessories such as battery, antenna, charger, belt clip to be supplied
12	Warranty	Minimum 1-year comprehensive warranty

इन्स्टॉलेशन से संबंधित समस्त कार्य फर्म द्वारा ही संबंधित कारागृह पर किया जावेगा।

परीक्षण:-

1. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण करवाया जा सकता है। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाय किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं है तो माल रिजेक्ट कर दिया जायेगा।


 अति.महानिदेशक पुलिस (कारागार)
 राजस्थान, जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों व स्पेसिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों व स्पेसिफिकेशन के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
 (बोली की समस्त शर्तों स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

Performance Security

(To be given by a Scheduled Bank in India)

(To be executed on a non-judicial stamp)

..... [Bank's Name, and Address of Issuing Branch or Office]

Beneficiary: [Name and Address of Procuring Entity]

Date:

Performance Guarantee No.:

We have been informed that [name of the Supplier] (hereinafter called "the Supplier") has entered into Contract No. [reference number of the Contract] dated with you, for the supply of [name of contract and brief description of the Goods] (here in after called "the Contract").

Furthermore, we understand that, according to the conditions of the Contract, a performance security is required.

At the request of the Contractor, we [name of the Bank] hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of INR* [amount in figures] (INR [amount in words]) such sum being payable upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Contractor is in breach of its obligation(s) under the Contract, without your needing to prove or to show grounds for your demand or the sum specified therein.

The Guarantor agrees to extend this guarantee for a specified period in response to the Procuring Entity's written request for such extension for that specified period, provided that such request is presented to the Guarantor before the expiry of the guarantee.

This guarantee shall expire, no later than the Day of **, and any demand for payment under it must be received by us at this office on or before that date.

Seal of Bank and Authorized Signature(s)

- * The Guarantor shall insert an amount representing the percentage of the Contract Price specified in the Contract
- ** Insert the date sixty days after the expected completion date, including period of Warranty/ Guarantee and maintenance period, if any.

[Notes: 1. The Procuring Entity should note that in the event of an extension of the time for completion of the Contract, the Procuring Entity would need to request an extension of this guarantee from the Guarantor. Such request must be in writing and must be made prior to the expiration date established in the guarantee.]

P. Law

AGREEMENT
(See Rule 68)

An agreement made this _____ day of _____ between

_____ (hereinafter called "the approved supplier", which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his heirs successors, executors and administrators of the one part and the Government of the State of Rajasthan (herein after called "the Government" which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.

2. Whereas the approved supplier has agreed with the Government to supply to the _____ of the State of Rajasthan at its Head Office as well as at branches offices throughout Rajasthan, all those articles set forth in the schedule appended hereto in the manner set forth in the conditions of the tender and contract appended herewith and at the rates set forth in column _____ of the said schedule.

3. And whereas the approved supplier has deposited a sum of Rs. _____ in _____
- (1) Cash/Bank Draft/Challan no./Banker Cheque No. _____ dated _____
 - (2) Post Office Savings Bank Pass Book duly hypothecated to the Departmental authority.
 - (3) National Savings Certificates/Defence Savings Certificates, Kisan Vikas Patras, or any other script/instrument under National Saving Schemes for promotion of Small Savings, if the same can be pleased under the relevant rule. (The certificates being accepted at surrender value) as security for the due performance of the aforesaid agreement which has been formally transferred to the departmental authority.

4. Now these Presents witness:

- (1) In consideration of the payment to be made by the Government through _____ at the rates set forth in the Schedule hereto appended the approved supplier will duly supply the said articles set forth in _____ and _____ thereof in the manner set forth in the conditions of the tender and contract.
- (2) The conditions of the tender and contract for open tender enclosed to the tender notice No. _____ dated _____ and also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.
- (3) Letters Nos. _____ received from tenderer and letters nos. _____ issued by the Government and appended to this agreement shall also form part of this agreement.
- (4) (a) The Government do hereby agree that if the approved supplier shall duly supply the said articles in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions, the Government will through _____ pay or cause to be paid to the approved supplier at the time and the manner set forth in the said conditions, the amount payable for each and every consignment.

B. Lewis

(b) The mode of Payment will be as specified below:-

1. _____
2. _____
3. _____

5. The delivery shall be effected and completed within the period noted below from the date of supply order:-

S.No.	Name Quantity	Delivery period
-------	---------------	-----------------

6. (1) (a) In case of extension in the delivery period with liquidated damages, the recovery shall be made on the basis of following percentages of value of stores which the tenderer has failed to supply:-

(a) Delay upto one fourth period of the prescribed delivery period.	2 1/2%
(b) Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribed delivery period.	5%
(c) Delay exceeding one fourth but not exceeding three fourth of the prescribed delivery period.	7 1/2%
(d) Delay exceeding three fourth of the prescribed delivery period.	10%

Note : (i) Fraction of a day in reckoning period of delay in supplies shall be eliminated if it is less than half a day.

(ii) The maximum amount of agreed liquidated damages shall be 10%.

(iii) If the supplier requires an extension of time in completion of contractual supply on account of occurrence of any hindrances, he shall apply in writing to the authority which had placed the supply order, for the same immediately on occurrence of the hindrance but not after the stipulated date of completion of supply.

(2) Delivery period may be extended with or without liquidated damages if the delay in the supply of goods is on account of hindrances beyond the control of the tenderer.

7. All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretation of this agreement shall be decided by the Government and the decision of the Government shall be final.

In witness whereof the parties hereto have set their hands on the day of 199.....

Signature of the approved supplier.

Signature for and on behalf of Governor
Designation

Date:

1. Witness
2. Witness

Date:

Witness No. 1
Witness No. 2

B. Kan